



उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

डवइपसम छवण 9415311047
उपस मममजक2अत / हउपसणवउ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड गाजीपुर
220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल
कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. 1582 वि०प्र०खं (गा)/

दिनांक. 12/11/2020

विषय:- 400 के०वी० अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट पारेण लाईन के लीज नवीनीकरण (प्रस्ताव संख्या-
FP/UP/TRANS/32650/2018) हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव में अपेक्षित
प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र,

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1091/ ओबरा /33 /दिनांक 27/10/2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, उक्त
विषयक के सन्दर्भ में आपेक्षित प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर के उपरान्त पाँच प्रतियों में प्रमाण पत्र
संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरोक्त

य/य
12/11/2020

(एस०के० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक.

वि०प्र०खं (गा)/

दिनांक.

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग रेनूकुट / ओबरा/सोनभद्र /कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।
3. मुख्य अभियन्ता (पा०उ०पू०), 132 के०वी० उपकेन्द्र मोहदीपुर, गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेशण मण्डल, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, गाजीपुर।

(एस०के० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

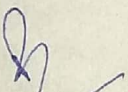
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद(वर्तमान में उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. गाजीपुर) को भारत सरकार के पत्र संख्या- 08-197/91-एफ.सी. दिनांक-01.11.1993 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या- जी आई. 444/14-2-93-707/89 दिनांक- 08/23 फरवरी 1994 द्वारा 400 के.वी. अनपरा-वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे० वनभूमि (मिर्जापुर 37.51 हे०, कैमूर वन प्रभाग मिर्जापुर 54.652 हे०, सोनभद्र वन प्रभाग 15.79 हे०, ओबरा वन प्रभाग 113.048 हे०, रेनुकूट वन प्रभाग 98.28 हे०) 20 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक-22.02.2014 को समाप्त होने के उपरान्त उक्त विद्युत लाईन के लीज नवीनीकरण (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/32650/2018) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र ।

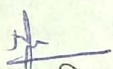
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयक प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांती परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है । विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है । भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

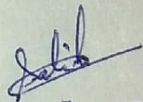
हस्ताक्षर—

हस्ताक्षर—


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा सोनभद्र


प्रभागीय वनाधिकारी
(एम० पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
राबर्टसगंज - सोनभद्र


(एम० के० सिंह)
अधिशारी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
गाजीपुर


प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक